

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-1628 / FP/UK/ROAD/25624/2017 : देहरादून: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-(उत्तर मध्य क्षेत्र)
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खनस्यूं से टांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.4675 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी. /06/26/2018/एफ0सी0/916 दिनांक 02-08-2018,

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रु० 30,47,202.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 46,20,038.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु० 76,67,240.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों किनारों तथा Central Verge पर वन विभाग देख-रेख में strip plantation किया जायेगा के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के०गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 1628 / FP/UK/ROAD/25624/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
- 2-अधिशारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड, लो०नि०वि०, काठगोदाम (नैनीताल)।

8/12

(ए०के०गुप्ता)
वन संरक्षक